

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक- 8/01/16

सं० सं०-17/कोर्ट-02/2015 - 15 (17) /स्वा०, डा० विजय कुमार गुप्ता, सहायक प्राध्यापक, निश्चेतना विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा एल०पी०ए० सं०-62/2010 डा० श्री निवास राय एवं अन्य बनाम डा० विजय कुमार गुप्ता तथा एल०पी०ए० सं०-1301/2010 बिहार राज्य एवं अन्य बनाम डा० विजय कुमार गुप्ता में संयुक्त रूप से दिनांक-24.09.2014 को पारित न्यायादेश के आलोक में, दिनांक-20.01.1996 से सह प्राध्यापक एवं दिनांक-01.06.2005 से प्राध्यापक के पद पर नियमित प्रोन्नति दी जाती है।

2. यह प्रोन्नति इस शर्त के साथ दी जाती है कि दी गयी प्रोन्नति माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में दायर एस०एल०पी०(C) सं०-9951/2015 डा० अशोक कुमार बनाम डा० विजय कुमार गुप्ता एवं अन्य में पारित न्यायादेश से प्रभावित होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
(शेखर चन्द्र वर्मा)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :-17/कोर्ट-02/2015 - 15 (17) /स्वा० पटना, दिनांक :- 8/1/16

प्रतिलिपि :-अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग पटना को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :-17/कोर्ट-02/2015 - 15 (17) /स्वा० पटना, दिनांक :- 8/1/16

प्रतिलिपि :-महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी (वै०दा०नि०को०) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :-17/कोर्ट-02/2015 - 15 (17) /स्वा० पटना, दिनांक :- 8/1/16


प्रतिलिपि :-जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :-17/कोर्ट-02/2015 -15 (17) /स्वा० पटना, दिनांक :- 8/11/16
प्रतिलिपि :-अपर महाधिवक्ता संख्या-02, माननीय उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :-17/कोर्ट-02/2015 -15 (17) /स्वा० पटना, दिनांक :- 8/11/16
प्रतिलिपि :-सभी प्राचार्य, चिकित्सा महाविद्यालय/सभी अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय
अस्पताल, बिहार/सम्बन्धित चिकित्सक शिक्षक/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के
निजी सहायक/विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/निदेशक, चिकित्सा शिक्षा/विशेष कार्य
पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी-1 एवं 17 एवं आई0 टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य
विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव।